



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
आदेश हेतु सुरक्षित किया गया :08.01.2026  
आदेश पारित किया गया:23.01.2026  
कर प्रकरण सं 83/2019

1 – प्रधान आयुक्त सी. जी. एस. टी. तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जी. एस. टी. भवन, धमतरी रोड, टिकरापारा,  
रायपुर छत्तीसगढ़, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

1 – मेसर्स भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड डाकघर बाल्को नगर कोरबा, छत्तीसगढ़-495684, जिला:  
कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थी हेतु :श्री आशुतोष सिंह कछवाह, अधिवक्ता सुश्री श्रुति परमार अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री भीष्म अहलूवालिया, अधिवक्ता

(युगल पीठ)

माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार



1. राजस्व विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी(1) के अंतर्गत यह अपील दायर की है, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (जिसे आगे "सीईएसटीएटी" कहा गया है) द्वारा अपील संख्या ई/51058/2018 (अनुलग्नक-ए/4) में पारित अंतिम आदेश संख्या ए/50671/2019-ईएक्स(डीबी) दिनांक 07.01.2019 (अनुलग्नक-ए/1) से व्यथित है, जो आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित मूल आदेश संख्या आरपीआर/ईएक्ससीयूएस/000/कॉम/024/2018 दिनांक 30.01.2018 (अनुलग्नक-ए/3) से उत्पन्न हुई है।

2. प्रकरण के तथ्य, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, यह है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पी.ओ. बालको नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़-495684 (जिसे आगे "उत्तरवादी/करदाता" कहा गया है), जिसका केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण क्रमांक एएसीबी 1290 एनएक्सएम 002 है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 76 के अंतर्गत वर्गीकृत एल्युमिनियम और एल्युमिनियम उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। अपनी विनिर्माण गतिविधियों के दौरान, उत्तरवादी 2004 के सीईएनवीएटी क्रेडिट नियमों के अनुसार इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ उठा रहा था। उत्तरवादी कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से कोयला खरीद रहा था, जिसका उपयोग एल्युमीनियम के निर्माण में एक आवश्यक निवेश के रूप में किया जाता था। एकत्र की गई खुफिया जानकारी के आधार पर, विभाग ने एसईसीएल के खिलाफ कार्यवाही शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अपने ग्राहकों को आपूर्ति किए गए कोयले का मूल्यांकन कम किया है, क्योंकि उसने रॉयल्टी, स्टॉइंग उत्पाद शुल्क, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, पारगमन शुल्क और अन्य शुल्कों जैसे वैधानिक करों को मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया, जबकि ये कर वैधानिक रूप से देय थे। तदनुसार, एसईसीएल, बिलासपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें तथ्यों को छिपाने के आरोपों पर विस्तारित परिसीमा अवधि का हवाला देते हुए कोयले के कथित कम मूल्यांकन पर अंतर उत्पाद शुल्क की मांग की गई और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एसी के तहत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया। रायपुर स्थित केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने दिनांक 29.09.2014 के मूल आदेश संख्या आयुक्त/आर. पी. आर./सी. ई. एक्स./37/2014 (अनुलग्नक-ए/7) के माध्यम से रॉयल्टी, स्टॉइंग उत्पाद शुल्क और अन्य वैधानिक करों पर लागू ब्याज और अधिनियम की धारा 11 एसी के तहत जुर्माने सहित शुल्क की मांग की पुष्टि की। इससे असंतुष्ट होकर एस. ई. सी. एल. ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की, जिसका निराकरण दिनांक 04.09.2017 के अंतिम आदेश संख्या ए/56448-56449/2017-ईएक्स (डीबी) (अनुलग्नक-ए/6) के माध्यम से किया गया। न्यायाधिकरण ने पाया कि ऐसा ही एक प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समक्ष विचाराधीन था, और इसलिए अपील का निराकरण करते हुए एसईसीएल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद प्रकरण को पुनः



उठाने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद, एसईसीएल ने रॉयल्टी, स्टॉइंग उत्पाद शुल्क, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, पारगमन शुल्क और अन्य शुल्कों से संबंधित अंतर उत्पाद शुल्क का विरोध सहित भुगतान किया। इस तरह का भुगतान करने के पश्चात्, एसईसीएल ने अपने ग्राहकों को, जिनमें उत्तरवादी -करदाता भी शामिल है, पहले आपूर्ति किए गए कोयले पर विरोध के तहत भुगतान किए गए अंतर शुल्क के संबंध में पूरक चालान जारी किए। इसके बाद, विभाग ने आरोप लगाया कि उत्तरवादी ने एसईसीएल द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों के आधार पर भुगतान किए गए अंतर उत्पाद शुल्क के लिए सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाया था। यह आरोप लगाया गया कि सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) के तहत इस प्रकार क्रेडिट का लाभ उठाना वर्जित था, क्योंकि पूरक चालान आपूर्तिकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाने के कारण शुल्क की वसूली न होने या कम वसूली होने के कारण जारी किए गए थे। तदनुसार, दिनांक 20.03.2017 को उत्तरवादी को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक-ए/2) जारी किया गया, जिसमें 6,51,22,158/- रुपये की केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क ऋण राशि को अस्वीकार करने और ब्याज सहित वसूल करने तथा उत्तरवादी पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था। उक्त नोटिस पर रायपुर स्थित केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्णय लिया गया, जिन्होंने दिनांक 30.01.2018 के मूल आदेश संख्या आर. पी. आर./ई. एक्स. सी. यू. एस./000/सी. ओ. एम./024/2018 (अनुलग्नक-ए/3) के माध्यम से 6,51,22,158/- रुपये की केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क ऋण राशि को अस्वीकृत कर दिया, ब्याज सहित उसकी वसूली का आदेश दिया और प्रतिवादी पर समान राशि का जुर्माना लगाया।

3. दिनांक 30.01.2018 के उक्त मूल आदेश से असंतुष्ट होकर उत्तरवादी ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने दिनांक 07.01.2019 के अंतिम आदेश संख्या ए/50761/2019-ईएक्स(डीबी) (अनुलग्नक-ए/1) के माध्यम से अपील को स्वीकार करते हुए मूल आदेश को अपास्त कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया गया है कि समान प्रकरण में पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि एसईसीएल की ओर से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान देना या शुल्क भुगतान से बचने के आशय से तथ्यों को छुपाना जैसी कोई बात नहीं थी, और इसलिए, सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) के तहत रोक लागू नहीं होती है। परिणामस्वरूप, पूरक चालानों के आधार पर उत्तरवादी को सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार माना गया था। सीईएसटीएटी द्वारा दिनांक 07.01.2019 को पारित उपरोक्त अंतिम आदेश से असंतुष्ट होकर, राजस्व विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी(1) के तहत इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जिसमें विचारणीय महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाए गए हैं।

4. अपीलकर्ता-राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सीईएसटीएटी द्वारा पारित अंतिम आदेश विधिक रूप से अस्थिर है, क्योंकि न्यायाधिकरण वर्तमान प्रकरण में शामिल मूल और निर्णायक विवादक, अर्थात् सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(बी) के अनुसार पूरक चालानों के आधार पर सीईएनवीएटी क्रेडिट की उपलब्धता, पर विचार करने और निर्णय देने में विफल रहा है, जहां एक वैधानिक रोक स्पष्ट रूप से बनाई गई है। यह निवेदन किया जाता है कि सीईएनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के



नियम 9(1)(बी) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि पूरक चालानों पर सीईएनवैट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं होगा, जहां धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने, या शुल्क के भुगतान से बचने के आशय से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण गैर-वसूली या कम वसूली के कारण इनपुट के निर्माता या आयातक से अतिरिक्त शुल्क राशि वसूल की जा सकती है। उक्त प्रावधान वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस प्रकरण में, तथ्यों को छुपाने और शुल्क भुगतान से बचने के आशय के आरोप, पूरक चालान जारी करने वाली आपूर्तिकर्ता कंपनी मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के विरुद्ध निर्णायक रूप से सिद्ध और पुष्ट हो गए थे। एसईसीएल ने अंतर शुल्क का भुगतान केवल निर्णय प्राधिकारी द्वारा विस्तारित परिसीमा अवधि का हवाला देते हुए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एसी के तहत जुर्माना लगाकर मांग की पुष्टि के बाद ही किया था। इस प्रकार, नियम 9(1)(ख) के तहत रोक लागू होने की मूलभूत शर्त पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। आगे यह निवेदन किया जाता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष वास्तविक विवाद्यक यह नहीं था कि उत्तरवादी - करदाता (बाल्को) की ओर से कोई धोखाधड़ी या जानकारी छिपाई गई थी या नहीं, बल्कि यह था कि क्या पूरक चालान जारी करने वाले आपूर्तिकर्ता/द्वारा धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने के कारण शुल्क का भुगतान किए जाने पर सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है। नियम 9(1)(ख) के अंतर्गत वैधानिक रोक पूरक चालान जारी करने वाले आपूर्तिकर्ता या द्वार के आचरण पर लागू होती है, न कि इनपुट प्राप्तकर्ता पर। न्यायाधिकरण ने इस महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति को पूरी तरह से अनदेखी की गई है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि न्यायाधिकरण ने आयुक्त द्वारा मूल आदेश में दर्ज विस्तृत निष्कर्षों पर विचार किए बिना ही यांत्रिक रूप से यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि उत्तरवादी की ओर से कोई धोखाधड़ी या जानकारी छिपाना नहीं हुआ था और केवल इसी आधार पर सीईएनवीएटी क्रेडिट की स्वीकृति दे दी है। यह तर्क पूरी तरह से विधि के विपरीत है और इस विवाद्यक को सुलझाने में गलत दिशा का संकेत देता है, जिससे आक्षेपित आदेश निरर्थक हो जाता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित आदेश अस्पष्ट और अनिश्चित है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने एक सुविचारित और विस्तृत मूल आदेश को उसमें दर्ज विशिष्ट निष्कर्षों, विशेष रूप से एसईसीएल के विरुद्ध मांग की पुष्टि, विस्तारित अवधि के आह्वान और धारा 11 एसी के तहत जुर्माने से संबंधित निष्कर्षों पर विचार किए बिना ही उलट दिया है। न्यायाधिकरण मूल आदेश को रद्द करने से पहले इन निष्कर्षों पर विचार करने के लिए बाध्य था। विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि न्यायाधिकरण ने एक पूरी तरह से भिन्न विवाद्यक, अर्थात् क्या रॉयल्टी एक कर है, पर गलत तरीके से भरोसा किया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त विवाद्यक का वर्तमान प्रकरण में शामिल विवाद से कोई संबंध नहीं है, जो पूरी तरह से सीईएनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 9(1)(बी) के तहत वैधानिक प्रतिबंध से संबंधित है। इसलिए इस तरह के लंबित प्रकरणों पर भरोसा करना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण धारणा है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि समान तथ्यों से उत्पन्न ऐसे ही मामलों में न्यायाधिकरण ने स्वयं विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। मेसर्स ट्रिमुला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंगरौली के प्रकरण में, न्यायाधिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में प्रकरण को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था, जबकि वर्तमान प्रकरण में, समान तथ्यों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने सीधे तौर पर ऋण स्वीकृत कर दिया



है। न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार का असंगत व्यवहार मनमानी दर्शाता है और आक्षेपित आदेश को अस्थिर बनाता है।

5. विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि विभाग ने पहले ही इसी न्यायालय में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मेसर्स सेंचुरी सीमेंट और मेसर्स नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रकरणों में इसी प्रकार के आदेशों को चुनौती दी है, जहां विधि के समान प्रश्न विचाराधीन हैं। अतः, आक्षेपित आदेश के व्यापक निहितार्थ हैं और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है। अंततः यह निवेदन किया जाता है कि आयुक्त ने मूल आदेश में वैधानिक प्रावधानों, उत्तरवादी के अधिकृत प्रतिनिधि की स्वीकृतियों और बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांत पर उचित ढंग से भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने के आधार पर पुष्ट किए गए शुल्क मांगों के बाद जारी किए गए पूरक चालानों पर लिया गया सीईएनवीएटी क्रेडिट अस्वीकार्य है। इन निष्कर्षों को खारिज किए बिना, न्यायाधिकरण मूल आदेश को विधिवत रूप से अपास्त नहीं कर सकता था। उपरोक्त तर्क के तहत, अपीलकर्ता-राजस्व के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि सीईएसटीएटी द्वारा पारित दिनांक 07.01.2019 के अंतिम आदेश को अपास्त किया जाए और आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 30.01.2018 के मूल आदेश को बहाल किया जाए, क्योंकि न्यायाधिकरण ने सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) के उल्लंघन में सीईएनवीएटी क्रेडिट की स्वीकृति देकर विधि की स्पष्ट त्रुटि की है। उत्तरवादी-बालको की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायाधिकरण ने वर्तमान प्रकरण से संबंधित तथ्यों और लागू विधि का उचित आकलन किया है और इस निष्कर्ष पर उचित ढंग से पहुंचा है कि उत्तरवादी मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों के आधार पर सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार था। यह प्रस्तुत किया गया है कि सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, और इसलिए न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह पूरा विवाद उत्तरवादी द्वारा एसईसीएल द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों पर अंतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु लिए गए सीईएनवीएटी क्रेडिट को अस्वीकार किए जाने के इर्द-गिर्द घूमता है। अपीलकर्ता-विभाग द्वारा क्रेडिट अस्वीकार करने का एकमात्र आधार सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) में निहित प्रतिबंध की कथित प्रयोज्यता है। यह तर्क भ्रामक और विधिवत रूप से मान्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीईएनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 9 उन दस्तावेजों को निर्धारित करता है जिनके आधार पर सीईएनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है, और पूरक चालान को विशेष रूप से ऐसे क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। नियम 9(1)(ख) पूरक चालानों पर सीईएनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की स्वीकृति देता है, सिवाय एक विशेष अपवाद के, अर्थात्, जहां धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान, तथ्यों को छुपाने या शुल्क के भुगतान से बचने के आशय से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण निर्माता या आयातक से अतिरिक्त शुल्क की वसूली योग्य हो जाती है। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि नियम 9(1)(ख) का सीधा और सुसंगत पठन यह स्पष्ट करता है कि उक्त प्रावधान तभी लागू होता है जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए के तहत विस्तारित परिसीमा अवधि को लागू करने के लिए आवश्यक तत्वों के समान



तत्व, जिनमें कर्तव्य से बचने का आशय या आपराधिक मनःस्थिति शामिल है, पूरक चालान जारी करने वाले निर्माता के विरुद्ध स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाते हैं। वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता-विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत कोयले के मूल्यांकन के विवाद्यक पर एसईसीएल के खिलाफ कार्यवाही की, जिसमें रॉयल्टी और अन्य शुल्कों को अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी। विभाग और एसईसीएल के बीच विवाद विशुद्ध रूप से व्याख्यात्मक और कानूनी प्रकृति का था, जिसमें यह निर्धारित किया जाना था कि क्या रॉयल्टी और संबंधित शुल्क उत्पाद शुल्क लगाने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य का हिस्सा हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता के आरोपों के विपरीत, एसईसीएल ने अपने मूल बिलों में रॉयल्टी और अन्य शुल्कों की वसूली का स्पष्ट रूप से खुलासा किया था और यह भी घोषित किया था कि धारा 4 के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य कुल प्रभारित राशि से कम था। इस प्रकार, पूरी पारदर्शिता बरती गई और एसईसीएल की ओर से तथ्यों को छिपाने या जानबूझकर गलत बयान देने का कोई मामला नहीं था। यह स्वीकार किया गया है कि एसईसीएल ने विभाग द्वारा 05.03.2014 को मांग नोटिस जारी करने से पहले ही 14.03.2013 को पूरी अंतर उत्पाद शुल्क राशि का भुगतान कर दिया था। बाद की कार्यवाही केवल मूल्यांकन से संबंधित विधिक विवाद्यक के निराकरण के लिए थी। यह तथ्यात्मक स्थिति स्वयं ही शुल्क भुगतान से बचने के इरादे के आरोप को खारिज करती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि मूल्यांकन का विवाद्यक सीधे और काफी विस्तार तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल अपील संख्या 4056-4064 ऑफ 1999 में विचाराधीन विधि के एक जटिल और विवादास्पद प्रश्न पर निर्भर था, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत रॉयल्टी की प्रकृति से संबंधित था। सुसंगत समय में, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रकरण में रॉयल्टी की प्रकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अलग-अलग मत थे। इन विरोधाभासी न्यायिक मतों को देखते हुए, एसईसीएल ने सद्भावनापूर्वक यह मानते हुए कि उत्पाद शुल्क के लिए कोयले के मूल्यांकन योग्य मूल्य में रॉयल्टी और अन्य कर शामिल नहीं किए गए थे, उन्हें शामिल नहीं किया। यह निवेदन किया जाता है कि ब्याज के संचय से बचने और दायित्व स्वीकार किए बिना, एसईसीएल ने प्रकरण की योग्यता के आधार पर बहस करते हुए अंतर शुल्क का भुगतान करना चुना। संवैधानिक और विधिक विवाद के लंबित होने के बावजूद विरोध के तहत किया गया ऐसा भुगतान, धोखाधड़ी, जानकारी छिपाने या शुल्क से बचने के इरादे से जानबूझकर गलत बयान देने से उत्पन्न भुगतान के बराबर नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता यह व्यक्त करते हैं कि एसईसीएल के विरुद्ध दिनांक 29.09.2014 को पारित मूल आदेश में शुल्क भुगतान से बचने के इरादे को स्थापित करने वाला कोई स्पष्ट या निर्णायक निष्कर्ष दर्ज नहीं है, जो नियम 9(1)(ख) लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त है। मांग की मात्र पुष्टि स्वतः ही वैधानिक रोक को आकर्षित नहीं करती है, जब तक कि आपराधिक आशय स्पष्ट रूप से स्थापित न हो जाए। यह सर्वविदित विधि है कि जहां परस्पर विरोधी न्यायिक मतों के समाधान या विधि की व्याख्या के परिणामस्वरूप शुल्क देय हो जाता है, वहां करदाता पर आपराधिक आशय नहीं थोपा जा सकता है। फलस्वरूप, ऐसी परिस्थितियों में धोखाधड़ी या जानकारी छिपाने के आरोप मान्य नहीं हो सकते हैं।



इस संबंध में बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांत पर भरोसा करना उचित है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एसईसीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, धोखाधड़ी या शुल्क भुगतान से बचने के आशय के आरोपों को ऐसे कथित धोखाधड़ी के किसी भी लाभार्थी की पहचान के अभाव में यूं ही नहीं लगाया जा सकता है। सीसीई बनाम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2018 (15) जीएसटीएल 661 (राज) के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकरण में दुर्भावना का अनुमान आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। उपरोक्त के तहत, यह निवेदन किया जाता है कि एसईसीएल द्वारा भुगतान किया गया अंतर शुल्क धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या शुल्क से बचने के आशय से तथ्यों को छिपाने के कारण भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, नियम 9(1)(ख) के तहत निर्धारित अपवाद लागू नहीं होता है, और प्रतिवादी पूरक चालानों पर सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाने का पूर्ण हकदार था। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि माननीय सीईएनवीएटी ने इन पहलुओं का उचित आकलन किया है और न्यायिक दृष्टांत का अनुसरण करते हुए यह उचित निर्णय दिया है कि उत्तरवादी संबंधित पूरक चालानों पर सीईएनवीएटी क्रेडिट का हकदार है। आक्षेपित आदेश तर्कसंगत, विधिक और सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) की सही व्याख्या पर आधारित है। अतः निवेदन है कि इस अपील में विचारणीय कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न नहीं उठता है। अपीलकर्ता-राजस्व द्वारा दायर अपील योग्यताहीन है और इसे खारिज किये जाने योग्य है, तथा माननीय सीईएनवीएटी द्वारा पारित अंतिम आदेश की पुष्टि की जानी चाहिए।

7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है तथा पूरे अभिलेख हेतु सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। वर्तमान अपील को विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्वीकार किया गया था:

"क्या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तरवादी द्वारा चालानों पर लिए गए सीईएनवीएटी क्रेडिट को उपलब्ध अभिलेख में मौजूद सामग्री के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करके स्वीकृति देने में उचित था?"

8. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को उचित रूप से समझने और विधि के उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, इस विवादक को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे की जांच करना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में विवाद मुख्य रूप से सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) की व्याख्या और प्रयोज्यता के इर्द-गिर्द घूमता है, जो उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनके तहत पूरक चालानों के आधार पर सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है और इसके अपवादों को भी स्पष्ट करता है। तदनुसार, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 9 (1) (बी), वर्तमान अपील पर निर्णय लेने हेतु सामान्य तथा महत्वपूर्ण होने के कारण, तैयार संदर्भ हेतु यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" नियम 9. दस्तावेज तथा खाते -



(1) निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता या इनपुट सेवा वितरक, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर सीईएनवीएटी क्रेडिट लेगा, अर्थात्: --

(ए) xxxxxxx xxx

(ख) इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के निर्माता या आयातक द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया पूरक चालान, उसके कारखाने या डिपो से या उक्त निर्माता या आयातक के माल एजेंट के परिसर से या किसी अन्य परिसर से जहां से माल उक्त निर्माता या आयातक द्वारा या उसकी ओर से बेचा जाता है, यदि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत देय अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया है, सिवाय इसके कि जब अतिरिक्त शुल्क की राशि इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के निर्माता या आयातक से किसी गैर-वसूली या कम वसूली के कारण वसूल की जा सकती है, जो धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने या उत्पाद शुल्क अधिनियम या

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52) के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण हुई हो। उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने का आशय रखते हुए शुल्क के भुगतान से बचने के लिए स्पष्टीकरण संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पूरक चालान में चालान या कोई अन्य समान दस्तावेज भी शामिल होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रमाण हो; या

xxxxxx "

9. इसी तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 (1) इस प्रकार है:

"4. उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्यों हेतु उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन।---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(3) इस धारा हेतु प्रयोजनों हेतु -

(क) "करदाता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है;

(ख) व्यक्तियों को "संबंधी" माना जाएगा यदि -

(i) वे परस्पर जुड़े हुए उपक्रम हैं;

(ii) वे रिश्तेदार हैं;

iii) उनमें से क्रेता करदाता का रिश्तेदार और वितरक है, या ऐसे वितरक का उप-वितरक है; या

(iv) वे इस प्रकार संबद्ध हैं कि उनका एक दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है।

स्पष्टीकरण

- इस खंड में



(i) "आपस में जुड़े उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2 के खंड (जी) में दिया गया है; और (ii) "रिश्तेदार" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (41) में दिया गया है;

(ग) "हटाने का स्थान" से तात्पर्य है - (i) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का कारखाना या उत्पादन या निर्माण का कोई अन्य स्थान या परिसर; (ii) गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को बिना शुल्क भुगतान के जमा करने की अनुमति दी गई है; (iii) डिपो, माल एजेंट का परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर जहाँ से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को कारखाने से निकासी के बाद बेचा जाना है; जहाँ से ऐसी वस्तुएँ हटाई जाती हैं;

घ) "लेनदेन मूल्य" से तात्पर्य माल की विक्रय के समय वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत से है, और इसमें कीमत के रूप में ली गई राशि के अतिरिक्त, कोई भी ऐसी राशि शामिल है जो खरीदार विक्रय के कारण या विक्रय के संबंध में करदाता को या उसकी ओर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह विक्रय के समय या किसी अन्य समय पर देय हो, जिसमें विज्ञापन या प्रचार, विपणन और विक्रय संगठन व्यय, भंडारण, बाहरीहैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी कमीशन या किसी अन्य मामले के लिए ली गई या प्रावधान करने के लिए कोई भी राशि शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है; लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क, विक्रय कर और अन्य करों की राशि शामिल नहीं है, यदि कोई हो, जो वास्तव में ऐसी वस्तुओं पर भुगतान की गई या वास्तव में देय है।"

10. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी इस प्रकार है: धारा 11एसी. कुछ मामलों में शुल्क की कम वसूली या वसूली न करने पर दंड। --

(1) वसूली न करने, कम वसूली करने, भुगतान न करने, कम भुगतान करने या गलत वापसी के लिए जुर्माने की राशि निम्नानुसार होगी: --

(क) जहाँ उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क धोखाधड़ी या मिलीभगत या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण, शुल्क के भुगतान से बचने के आशय से, न लगाया गया हो या भुगतान न किया गया हो या कम लगाया गया हो या कम भुगतान किया गया हो या गलत तरीके से वापस कर दिया गया हो, तो धारा 11क की उपधारा (10) के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, इस प्रकार निर्धारित शुल्क के बराबर जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

(ख) यदि निर्दिष्ट अभिलेखों में उपलब्ध किसी लेन-देन के विवरण से यह पता चलता है कि धारा 11क की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अनुसार कोई उत्पाद शुल्क लगाया या भुगतान नहीं किया गया है, या कम लगाया गया है, कम भुगतान किया गया है, या गलत तरीके से वापस किया गया है, तो धारा 11क की उपधारा (10) के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस निर्धारित शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर जुर्माना भी अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा;



(ग) यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट लेन-देन के संबंध में धारा 11 क की उपधारा (10) के तहत निर्धारित कोई शुल्क और उस पर देय ब्याज, ऐसे शुल्क का निर्धारण करने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के आदेश की सूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर अदा कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अदा किया जाने वाला जुर्माना उस निर्धारित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत होगा;

(घ) जहां अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण या न्यायालय धारा 11 ए की उपधारा (10) के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क की राशि में संशोधन करता है, तो देय दंड और ब्याज की राशि तदनुसार संशोधित हो जाएगी और संशोधित उत्पाद शुल्क की राशि को ध्यान में रखते हुए, धारा 11 ए की उपधारा (10) के तहत निर्धारित

शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति संशोधित दंड या ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण -

संशय दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि ऐसे मामले में जहां धारा 11 ए की उपधारा (4) के तहत नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी होने के बाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की राय है कि जिन लेन-देन के संबंध में नोटिस जारी किया गया था, वे निर्दिष्ट अभिलेखों में दर्ज किए गए हैं और मामला उपधारा (5) के अंतर्गत आता है, तो शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा।

(2) जहाँ अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा संशोधित राशि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा धारा 11 ए की उपधारा (10) के तहत निर्धारित राशि से अधिक हो, तो इस अधिनियम के तहत देय ब्याज या जुर्माने की समयावधि की गणना अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण या न्यायालय के आदेश की तिथि से की जाएगी।"

11. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-करदाता, मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को), एल्युमिनियम और एल्युमिनियम उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। बाल्को केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के तहत विधिवत पंजीकृत थी और अपनी विनिर्माण गतिविधियों के दौरान, केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट का लाभ उठा रही थी। कोयला बाल्को की उत्पादन प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक था और बाल्को ने इसे मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से प्राप्त किया था। आगे यह भी पता चला है कि बिलासपुर स्थित केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के मुख्यालय ने जांच की और पाया कि बाल्को ने मूल चालानों के विरुद्ध एसईसीएल द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों के आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट का लाभ उठाया था। ये पूरक चालान एसईसीएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल, जैसे रॉयल्टी, भंडारण उत्पाद शुल्क, वन उपकर, टर्मिनल कर, छत्तीसगढ़ विकास उपकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकार,



पारगमन शुल्क और अन्य समान शुल्कों पर अंतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के परिणामस्वरूप जारी किए गए थे।

12. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि विभाग ने एसईसीएल के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें उपरोक्त अतिरिक्त प्रतिफल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने और कम भुगतान करने का आरोप लगाया गया था, जो ग्राहकों से एकत्र किया गया था लेकिन कोयले के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। उक्त नोटिसों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के आरोपों पर विस्तारित परिसीमा अवधि का उल्लेख किया गया था। अन्वेषण के दौरान, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिलासपुर ने एसईसीएल के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान बिलासपुर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित एसईसीएल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों के संबंध में जानकारी मांगी।

13. इसके जवाब में, एसईसीएल ने विवरण प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि उसने उपर्युक्त अतिरिक्त प्रतिफल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमा कर दिया था और उसके बाद बाल्को सहित अपने ग्राहकों को पूरक चालान जारी किए थे। इन पूरक चालानों के आधार पर, बाल्को ने कुल 6,51,22,158 रुपये का केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट प्राप्त किया, जिसमें 6,32,25,374 रुपये का मूल केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट, 12,64,527 रुपये का शिक्षा उपकर और 25,527 रुपये का माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर शामिल था। 2004 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट नियमों के तहत 6,32,257/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि विभाग ने मेसर्स एसईसीएल को रॉयल्टी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भंडारण उत्पाद शुल्क, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, पारगमन शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान न करने के लिए अलग-अलग नोटिस जारी किए थे, जो विभाग के अनुसार, ग्राहकों से एकत्र किए गए थे लेकिन मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की चोरी हुई थी। विभाग ने आरोप लगाया कि एसईसीएल ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था, और तदनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एसी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 25 के तहत एसईसीएल पर जुर्माना लगाया गया। इसके पश्चात्, एसईसीएल ने अतिरिक्त भुगतान के रूप में अपेक्षित केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमा किया और कार्यवाही पूरी होने के बाद अपने ग्राहकों को पूरक चालान जारी किए। उपरोक्त के फलस्वरूप, विभाग द्वारा बाल्को को नोटिस जारी किए गए, जिसमें एस. ई. सी. एल द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों पर सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(b) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन के आधार पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट को रद्द करने का प्रस्ताव था। विभाग ने आरोप लगाया कि बाल्को ने उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अस्वीकार्य सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया था। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि बाल्को ने अन्य बातों के अलावा यह तर्क देकर कार्यवाही का विरोध किया कि एस. ई. सी. एल, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, शुल्क चोरी करने के दुर्भावनापूर्ण आशय का आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है और यह कि अंतर शुल्क का भुगतान बाद में किया गया था, जिसके बाद बाल्को सहित ग्राहकों को पूरक चालान जारी किए गए थे।



14. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, रायपुर द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पारित मूल आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि बाल्को को व्यक्तिगत सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था और उसे अपने तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। उपलब्ध सामग्री की जांच करने पर, निर्णय प्राधिकारी ने पाया कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं था कि बाल्को ने मेसर्स एस. ई. सी. एल. द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों के आधार पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था, जो विस्तारित परिसीमा अवधि का हवाला देकर पुष्टि किए गए अंतर शुल्क के भुगतान के परिणामस्वरूप जारी किए गए थे। प्राधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि एसईसीएल द्वारा अपने ग्राहकों से मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किए बिना अतिरिक्त शुल्क वसूलना विस्तारित सीमा अवधि को लागू करने का आधार बना, जो इस प्रकार के भुगतान पर शुल्क के गैर-भुगतान और कम भुगतान को दर्शाता है।

15. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, रायपुर ने विवाद के प्रत्येक पहलू की व्यापक रूप से जांच करते हुए एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश पारित किया है। निर्णय प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी ने अवैध रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क क्रेडिट का लाभ उठाया था, जिसके लिए वह अन्यथा पात्र नहीं था। मूल आदेश में मामले के गुण-दोषों पर विस्तार से चर्चा की गई है और यह स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि प्रतिवादी/कंपनी मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा जारी किए गए पूरक चालानों के आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं थी।

16. सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) के तहत जारी किए गए पूरक चालानों के आधार पर सीईएनवीएटी क्रेडिट की स्वीकार्यता से संबंधित मुख्य मुद्दे पर प्रतिवादी कंपनी के खिलाफ निर्णायक निर्णय लिया गया। आयुक्त ने विशेष रूप से यह पाया कि पूरक चालान जारीकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाने के कारण शुल्क की वसूली न होने या कम वसूली होने के परिणामस्वरूप जारी किए गए थे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9(1)(ख) में निहित स्पष्ट वैधानिक प्रतिबंध के मद्देनजर, सीईएनवीएटी क्रेडिट अनुमेय नहीं है, जहां धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान, तथ्यों को छिपाने या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट के निर्माता या आयातक से अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाना आवश्यक हो जाता है। तदनुसार, तथ्यों, वैधानिक प्रावधानों और कानूनी सिद्धांतों पर गहन विचार-विमर्श के बाद, आयुक्त ने माना कि प्रतिवादी कंपनी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उपधारा (5) के तहत 7,50,88,571/- रुपये (सात करोड़ पचास लाख अस्सी हजार पांच सौ इकहत्तर रुपये मात्र) की केंद्रीय उत्पाद शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें 7,29,01,526/- रुपये का केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट, 14,58,030/- रुपये का शिक्षा उपकर और 7,29,015/- रुपये का माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर शामिल है। निर्णय प्राधिकारी ने उक्त राशि के विनियोजन, अधिनियम की धारा 11ए के तहत लागू दर पर ब्याज की वसूली और 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की



धारा 11 एसी (1)(बी) के तहत 3,75,44,286/- (तीन करोड़ पचहत्तर लाख चौवालीस हजार दो सौ छियासी रुपये मात्र)।

17. हालांकि, जब प्रतिवादी ने उक्त मूल आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी, तो न्यायाधिकरण ने आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत निष्कर्षों पर विचार किए बिना या उन पर विचार किए बिना, अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायाधिकरण ने कथित तौर पर समान मुद्दों से संबंधित पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए, तथ्यों की स्वतंत्र जांच किए बिना या निर्णय प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए विशिष्ट तर्क पर विचार किए बिना, निम्नानुसार निर्णय दिया:

4. दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, हम ध्यान देते हैं कि इस न्यायाधिकरण ने अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिटआदित्य सीमेंट वर्क्स बनाम सी.ई. एंड एस.टी., उदयपुर के संबंधित मामले में, जो 2018 (8) टीएमआई 952(सीईएसटीएटी, नई दिल्ली) में प्रकाशित हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह के मामले की लंबितता, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य, और साथ ही उसमें संदर्भित अन्य मामलों पर विचार किया गया है, और यह माना गया है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विभाग द्वारा मेसर्स एसईसीएल के विरुद्ध उठाई गई मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है, और इसलिए, सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ निर्माता द्वारा पूरक चालानों के आधार पर लिया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार शुल्क की राशि को किसी गैर-वसूली के कारण भुगतान किया गया नहीं कहा जा सकता है या धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम/नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण कम शुल्क लगाना, जिसका उद्देश्य शुल्क के भुगतान से बचना हो।"

5. इसके अलावा, अंतिम आदेश संख्या 52625/2018 दिनांक 23.07.2018 को आबकारी अपील संख्या 51278/2018, जिसका शीर्षक मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीजीएसटी, सीसी और सीई, उदयपुर है, में इस न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता की ओर से धोखाधड़ी या जानकारी छिपाने का कोई तत्व नहीं था और यह विवाद्यक बार-बार दोहराया जाने वाला था। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलकर्ता पूरक चालानों पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार था।"

18. आश्चर्यजनक रूप से, और वर्तमान मामले की खूबियों में प्रवेश किए बिना या आयुक्त द्वारा मूल आदेश में दर्ज किए गए विशिष्ट और ठोस कारणों पर विचार किए बिना, न्यायाधिकरण ने सरसरी और संक्षिप्त तरीके से निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया:

6. अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों और इस न्यायाधिकरण द्वारा समान तथ्यों पर दिए गए विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हम आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को



स्वीकार करते हुए यह मानते हैं कि अपीलकर्ता संबंधित पूरक चालानों पर सीईएनवीएटी क्रेडिट लेने के हकदार हैं।"

19. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने मामले की सही परिप्रेक्ष्य में सावधानीपूर्वक जांच नहीं की है। न्यायाधिकरण ने केवल पूर्व के निर्णयों के आधार पर कार्यवाही की है, जिन्हें उसने एक समान माना है, बिना यह विश्लेषण किए कि क्या वर्तमान मामले में निर्णयकर्ता प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष, वैधानिक प्रावधान और विशिष्ट कारण उचित रूप से संबोधित किए गए थे या भिन्न थे। इस न्यायालय की राय में, ऐसा दृष्टिकोण विधि के अनुरूप नहीं है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कार्य संविदा और पट्टा, कोटा के मामले में (2010) 4 एससीसी 785 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

"12. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए, तर्कसंगत आदेशों/कार्यवाहियों की अवधारणा को विदेशी न्यायालयों द्वारा भारत के न्यायालयों के समान ही लागू किया गया है। प्रशासनिक प्राधिकरण और न्यायाधिकरणों को कारण बताना अनिवार्य है, अन्यथा आदेश न्यायिक दंड के योग्य हो सकता है। अतः, यह कानून का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्यायालयों को अपने निर्णयों के कारण दर्ज करने चाहिए ताकि अपीलीय या उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उचित और विधिवत प्रयोग कर सकें। यह केवल तर्क ही उच्च या अपीलीय न्यायालय को विवादित मामले को सही परिप्रेक्ष्य में समझने और यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि जिस न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, उसके द्वारा दर्ज किए गए तर्क विधिवत हैं या नहीं और क्या उसने सही कानूनी दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए, न्याय वितरण प्रणाली के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यह आवश्यक है कि न्यायालय अपने निर्णयों के कारण दर्ज करें, चाहे वे मामले का निपटारा प्रवेश स्तर पर कर रहे हों या नियमित सुनवाई के बाद।"

21. इसके अलावा, क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान के मामले में, जो (2010) 9 एससीसी 496 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कारण हर निष्कर्ष का आधार होते हैं; इनके बिना आदेश बेजान हो जाता है यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

"47. उपरोक्त चर्चा का सारांश प्रस्तुत करते हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया गया::

(क) भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा से कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी को भी हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं।

(ख) एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए।

(ग) कारणों को दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य न्याय के व्यापक सिद्धांत की पूर्ति करना है, जिसके अनुसार न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ प्रतीत भी होना चाहिए।

(घ) कारणों को दर्ज करना न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक शक्तियों के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध रोक के रूप में भी कार्य करता है।



(ड) कारण यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने वाले ने प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों को नजरअंदाज करते हुए विवेक का प्रयोग किया है।

(च) न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की तरह ही, कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं।

(छ) कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

(ज) विधि के शासन और संवैधानिक प्रशासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में प्रचलित न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने का आधार है, जो इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि तर्क न्याय की आत्मा है।

(झ) आजकल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक राय उतनी ही भिन्न हो सकती हैं जितनी कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और अधिकारी। इन सभी निर्णयों का एक ही उद्देश्य है, जो यह सिद्ध करना है कि प्रासंगिक कारकों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है। न्याय व्यवस्था में वादियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

(जे) तर्क पर जोर देना न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए आवश्यक है।

(ट) यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण अपनी निर्णय प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्व उदाहरणों के सिद्धांत या क्रमिक विकास के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान है या नहीं।

(ठ) निर्णयों के समर्थन में दिए गए तर्क ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। तर्कों का दिखावा या "औपचारिकता पूरी करने वाले तर्क" को वैध निर्णय प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। (एम) इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णयकर्ताओं को त्रुटियों से बचाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के दायरे में भी लाती है। देखें -डेविड शापिरो द्वारा लिखित "न्यायिक स्पष्टवादिता का बचाव" [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-37] ।)

(एन) चूंकि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए यह आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था। देखें रुइज़ तोरिजा बनाम स्पेन [(1994) 19 ईएचआरआर 553] ईएचआरआर, पृष्ठ 562, पैरा 29 और अन्या बनाम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय [2001 ईडब्ल्यूसीए सिव 405 (सीए)], जिसमें न्यायालय ने मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है, "न्यायिक निर्णयों के लिए पर्याप्त और विवेकपूर्ण कारण दिए जाने चाहिए"।



(ओ) सभी सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में, निर्णय भविष्य के लिए मिसालें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, विधि के विकास के लिए, निर्णय के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक अभिन्न अंग है।

48. उपरोक्त कारणों से, हम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को रद्द करते हैं और मामले को उक्त मंच को वापस भेजते हैं ताकि वह उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में तर्कसंगत आदेश पारित करके मामले का निर्णय करे। चूंकि कुछ समय बीत चुका है, इसलिए यह न्यायालय मंच से अनुरोध करता है कि वह मामले का निर्णय यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की तामील की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर करे।"

22. इसी प्रकार, सीआईटी बनाम चेन्नियाप्पा मुदलियार के मामले में, जो (1969) 1 एससीसी 591 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:"

7. अपील न्यायाधिकरण से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों की योजनास्पष्ट रूप से यह है कि उसे अपील का निराकरण ऐसे आदेश देकर करना है जैसा वह गुण-दोष के आधार पर उचित समझे। धारा 33(4) की भाषा से और विशेष रूप से "उस पर" शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में विभागीय अधिकारियों द्वारा तय किए गए बिंदुओं की सत्यता या अन्यथा की जांच करनी होगी। यह केवल तथ्यों और कानून के प्रश्नों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय देकर ही किया जा सकता है, न कि केवल इस आधार पर अपील का निपटारा करके कि संबंधित पक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। जैसा कि हुकुमचंद मिल्स लिमिटेड बनाम सीआईटी [(1967) 63 आईटीआर 232 : 1966 एससीसी ऑनलाइन एससी 171] में देखा गया है, धारा 33(4) में "पर" शब्द न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को अपील के विषय-वस्तु तक सीमित करता है और"

न्यायाधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाले आदेश पारित करना" शब्दों में वे सभी शक्तियाँ (संभवतः वृद्धि की शक्ति को छोड़कर) शामिल हैं जो अपीलीय सहायक आयुक्त को अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त हैं। धारा 66 में निहित प्रावधान कानून के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजने के संबंध में निष्क्रिय हो जाएंगे यदि ऐसी कोई शक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण को दी जाती है जिसके द्वारा वह किसी अपील को खारिज कर सकता है, जो अन्यथा विधिवत दायर की गई है, बिना कोई

आदेश दिए धारा 33(4) के अनुसार। स्थिति तब काफी सरल हो जाती है जब यह याद रखा जाता है कि करदाता या सीआईटी, यदि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से असंतुष्ट हैं, तो केवल धारा 66 के प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं। तथ्यों के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और केवल विधि संबंधी प्रश्नों पर ही उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विशुद्ध रूप से सलाहकारी है और उसे अपील या पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग उचित संदर्भ दिए जाने पर ही किया जा सकता है, और ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वयं न्यायाधिकरण ने धारा 33(4) के तहत उचित आदेश पारित न किया हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण तथ्यों और विधि दोनों के प्रश्नों पर उचित निर्णय देने के



लिए बाध्य है, जो केवल तभी संभव है जब अपील का निपटारा गुण-दोष के आधार पर किया जाए, न कि अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाए। यह बात 1952 में न्यायमूर्ति एस.आर. दास (तत्कालीन न्यायाधीश) ने सीआईटी बनाम अरुणाचलम चेट्टियार [(1952) 2 एससीसी 805 : (1953) 23 आईटीआर 180] में प्रतिपादित की थी कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस शर्त पर निर्भर है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा धारा 33(4) के तहत एक आदेश पारित किया गया हो और ऐसे आदेश से कोई विधिगत प्रश्न उत्पन्न हुआ हो। विशेष पीठ ने वर्तमान मामले में, इस पहलू की जांच करते हुए, सीआईटी बनाम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड [(1961) 42 आईटीआर 589 : 1961 एससीसी ऑनलाइन एससी 118] में न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर की टिप्पणियों का उचित रूप से उल्लेख किया, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील का गुण-दोष के आधार पर निपटारा करने की आवश्यकता बताई गई थी। इस तरह विद्वान न्यायाधीश ने मामले को पूछताछ के रूप में रखा था:

"....यह कैसे कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण किसी ऐसे प्रश्न पर सलाह मांगेजिस पर विचार करने के लिए उसे कहा ही नहीं गया था और जिसके संबंध में उसे यह निर्धारित करने का अवसर ही नहीं मिला कि न्यायालय का निर्णय मांगा जाना चाहिए या नहीं।" अतः अधिनियम के मूल प्रावधानों को देखते हुए, इस निष्कर्ष से बचना संभव नहीं है कि धारा 33(4) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील का निपटारा गुण-दोष के आधार पर करना होगा और उपस्थिति न होने के कारण उसे खारिज करके इसे छोटा नहीं कर सकता है।"

23. आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट है, जिसमें मामले के प्रत्येक पहलू की विस्तारपूर्वक जांच की गई है। जब तक उसमें दर्ज निष्कर्षों का गुण-दोष के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता और प्रत्येक निर्णायक मुद्दे पर ठोस कारण बताते हुए विचार नहीं किया जाता, तब तक न्यायाधिकरण केवल पूर्व निर्णयों पर भरोसा करके उक्त आदेश को रद्द नहीं कर सकता था। न्यायिक अनुशासन के अनुसार, मूल प्राधिकारी द्वारा दिए गए कारणों का स्पष्ट रूप से खंडन किया जाना चाहिए। उपरोक्त के तहत, इस न्यायालय का मत है कि मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाना चाहिए।

24. चूंकि मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए सीईएसटीएटी को वापस भेजा गया है, इसलिए किसी भी तरह से मूल प्रश्न का निर्णय करना उचित नहीं है।

25. तदनुसार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए, मामले को सीईएसटीएटी को वापस भेजा जाता है और निर्देश दिया जाता है कि वह आयुक्त द्वारा निराकरण किये गए प्रत्येक पहलू पर विचार करते हुए और तर्कसंगत एवं स्पष्ट आदेश पारित करते हुए, विधि के अनुसार अपील पर नए सिरे से निर्णय ले। यदि आवश्यक हो तो न्यायाधिकरण पक्षकारों को पुनर्विचार का अवसर प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

26. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और सीईएसटीएटी को इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करना होगा।



27. संबंधित अभिलेखों को उपरोक्त उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाएगा।

सही/-  
(संजय एस. अग्रवाल)  
न्यायाधीश

सही/-  
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)  
न्यायाधीश

हेड-नोट

अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक निर्णयों के पीछे ठोस और सुबोध कारण होने चाहिए। तर्कसंगत आदेश न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखते हैं और उचित प्रक्रिया तथा विधि के शासन का अभिन्न अंग हैं। तर्कसंगत आदेश के अभाव में, निर्णय अधूरा और विधि की दृष्टि से अस्थिर रहता है।



**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और  
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

